फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 – 2201507

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा सम्बद्ध विभाग का नाम दिया

पत्रांक 3350/सम्बद्धता/2009 दिनांक 18/19 /07/2009

सेवा में,

प्रबन्धक,
पं० सूर्य नारायण चतुर्वेदी विधि महाविद्यालय
खलीलाबाद, संत कबीर नगर।

विषय : प्राचार्य के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 26.06.209 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर प्राचार्य के चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है:-

क्र. सं.	प्राचार्य	विषय
1.	डा० यमुना शंकर शर्मा	प्राचार्य

1. महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांक 09, मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांक 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक:
1. शासनादेश संख्या 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांक 09, मई, 2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांक 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,
कुलसचिव
18/07/09 18/07/09

(0551) 2340363
(0551) 2201507

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009

पत्रांक 1521 /[illegible]/06

दिनांक : 22.[illegible]

सेवा में,

प्रबन्धक,

पं० सुरेन्द्रनाथ चतुर्वेदी विधि महाविद्यालय
खलीलाबाद
सन्तकबीर नगर

विषय : प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 31-01-2006 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की है -

क्र.सं.	नाम प्रवक्ता	विषय
1-	श्री प्रदीप कुमार	प्रवक्ता (विधि)
2-	" सुनील कुमार	प्रवक्ता "
3-	कु० रजनी शर्मा	प्रवक्ता "
4-	श्री रमेश कुमार त्रिपाठी	प्रवक्ता "

2. महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. शासनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक 11 मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक द्वारा ही वेतन भुगतान किया जाय।

4. प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

[signature] 2/3/06

संलग्नक : 1. शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 की प्रति।
2. [illegible] 2005-2(85)/97 दिनांक 11 मार्च, 2005 की प्रति।